न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 12/2004

आरसीएमएस नं. :– 2012/00053

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

रणधीर पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोझला तहसील व जिला हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएक्ट

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा,

आदेश क्रमांक 403 दिनांक 11.03.2003

प्र0 स0 10/2003

आनवान चक रोही मौजा बोझला के ख0 नं0 13 मीन 2.530 है0 गैर मुमकिन गोचर भूमि के आवंटन आदेश

उपस्थितिः–

श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 7.7.2022

1. यह प्रकरण वर्ष 2004 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 18 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपील को अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी भादरा ने अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेण्ट रणधीर पुत्र जेठाराम को चक राही मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बारानी बोझला के ख0 नं0 13 मी0 की 2.530 है0 गैर मु0 गोचर भूमि को राजस्थान उपनिवेशन भाखड़ा प्रोजक्ट राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय संशोधन नियम 1955 की धारा 7 ए के अन्तर्गत निर्धारित दर से भूमि के आवंटन के आदेश दिये हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपीलाण्ट के अधिवक्ता की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। लिहाजा अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4 विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि

5 प्रश्नगत भूमि गैर मु0 गोचर भूमि है, जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट ने स्वयं को वाद भूमि पर काबिज होना दर्शाकर आवंटन करवाया है। अपीलाण्ट को सुने बिना साक्ष्य का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। ना ही वाद में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। इससे स्टेट को ना पूरा होने वाला नुकसान होता है। रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत नोटिस दिये पेश किया है। रेस्पोडेण्ट को यह भूमि आवंटित करवाने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन अपील में अपीलाधीन आदेश की फोटो प्रति अपील पत्रावली में में संलग्न है। इस आदेश के द्वारा रेस्पोडेण्ट को चक रोही मौजा ख0 नं0 13 मी के किला नं. 2.530 है0 गै0 मु0 गोचर का भाखड़ा प्रोजेक्ट राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय संशोधन नियम 1955 की धारा 7 ए के अन्तर्गत आवंटन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गै0 मु0 गोचर भूमि है जिसका आवंटन अथवा खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में ऐसी भूमि का किसी प्रकार का आवंटन या खातेदारी अधिकार दिया जाना वर्जित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की किये जाने योग्य है।

9 उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 403 दिनांक 1.03.2003 निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 7.7.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/2021

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़